प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

दाण्डिक अपील संख्या 1279/2021

भूपेंद्र सिंह .... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य व अन्य .... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश

1. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ में एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2021 को पारित आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें, उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रत्यर्थी के पाँचवें जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है।

2. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 302 और 336 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन मथुराघाट में प्राथमिकी संख्या 732/2017 मे दर्ज की गई थी। जमानत के लिए आवेदन मंजूर करते समय, एकल न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया:

"6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता तीन साल और दस महीने की अवधि के लिए हिरासत में रही है, वह एक महिला है, वर्तमान प्रकरण में उसे कोई प्रत्यक्ष कार्य भी नहीं सौंपा गया है, सह–आरोपी विजय पाल जिसके विरुद्ध मुख्य आरोप था, को जमानत का लाभ दिया जा चुका है । इस न्यायालय द्वारा चौथा जमानत आवेदन

खारिज किए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष की कहानी में भिन्नता आयी है, पहले आरोपी की उपस्थिति चाय की दुकान पर दिखाई गई और बाद में गवाह के अनुसार घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति दिखाई गई । विचारण के निष्कर्ष में समय लगेगा, इसलिए, मैं पांचवीं जमानत आवेदन को स्वीकार करना उचित समझता हूं।"

3. अपीलार्थी मृतक दानसिंह का पुत्र है, जो गाँव का सरपंच था। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी और मृतक के बीच पहले से दुश्मनी थी, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे प्रत्यर्थी के पति ने अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्यों और कुशल निशानेबाजों के साथ सितंबर 2015 में दानसिंह पर गोली चलाई थी। इस घटना में दानसिंह बच गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत प्राथमिकी संख्या 466/2015 कुमहेर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दूसरे प्रत्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दाखिल किया गया। दानसिंह के साक्ष्य को आपराधिक विचारण में दर्ज किया जाना था, उनके साक्ष्य को दर्ज करने से एक पखवाड़े पहले, 11 सितंबर 2017 को दानसिंह की हत्या कर दी गई थी।

4. दिनांक 12 सितंबर 2017 को, भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 302 व 336 और आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3/25 व 4/25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के भाई द्वारा पुलिस स्टेशन मथुराघाट में प्राथमिकी संख्या 732/2017 दर्ज करवाई गई थी। दूसरे प्रत्यर्थी को दिनांक 3 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था।अनुसंधान के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के तहत अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसंबर 2017 को प्रस्तुत किया गया जिसमें दूसरे प्रत्यर्थी को अभियुक्त के रूप में नामजद किया गया है।

5. दूसरे प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय ने दिनांक 6 अप्रैल 2018, 5 सितंबर 2019 और 8 सितंबर 2020 को जमानत देने से इनकार कर दिया। 5 सितंबर 2019 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने नोट किया:

"5. ... अनुसंधान अधिकारी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, जिसने कॉल विवरण प्रस्तुत किया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह सूचित किया है कि याचिकाकर्ता से दो मोबाइल बरामद किए गए और आईएमईआई नंबर से यह पता चला है कि इन मोबाइलों में अलग–अलग सिम का उपयोग किया गया था और दो सिम का उपयोग

किया गया था । याचिकाकर्ता, प्रहलाद और उसके बेटे अनेक सिंह के संपर्क में था, जो इस मामले में भी अभियुक्त है। यह भी बताया जाता है कि घटना के एक दिन पहले याचिकाकर्ता और कोई भूरिया ए.एस.आई. के कार्यालय में आए थे और दानसिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी सूचित किया है कि याचिकाकर्ता ने निशानेबाज़ को मृतक की गतिविधि के बारे में सूचित किया था और वह लगातार प्रहलाद और उसके बेटे–अनेक सिंह के संपर्क में थी।"

6. उच्च न्यायालय ने 8 सितंबर 2020 के अपने आदेश में चौथी जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह भी पाया कि दूसरा प्रत्यर्थी अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा था ।

7. उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए दूसरे प्रत्यर्थी की जमानत के लिए पांचवें आवेदन को स्वीकार किया है कि (i) दूसरा प्रत्यर्थी एक महिला है (ii) वह तीन वर्ष और दस महीनों से अभिरक्षा में है (iii) वर्तमान प्रकरण मे उसका कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा गया था (iv) सह–अभियुक्त विजयपाल को जमानत दी जा चुकी है (v) दूसरे प्रत्यर्थी के स्थान के संबंध में अभियोजन की कहानी में भिन्नता है और (vi) विचारण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है।

8. श्री नमित सक्सेना, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए है किः

(i) उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही करने में त्रुटि कर रहा है कि किसी प्रत्यक्ष कार्य के लिए दूसरे प्रत्यर्थी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है क्योंकि आरोप–पत्र जो अनुसंधान के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, यह इंगित करता है कि–

(क). दूसरा प्रत्यर्थी कम से कम चार सिम कार्डों का उपयोग कर रहा था और सह–आरोपी प्रहलाद, जिसने एक कुशल निशानेबाज़ को काम पर रखा था, और उसके बेटे अनेक, जो एक सह–आरोपी है, के साथ लगातार संपर्क में थी व

(ख) दूसरा प्रत्यर्थी अपराध में उपयोग किए गए हथियारों का संरक्षक थी।

(ii) उच्च न्यायालय ने दिनांक 8 सितंबर 2020 के अपने आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि दूसरा प्रत्यर्थी मामले की अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा थी।

(iii) पहले के चार जमानत आवेदनों को नामंजूर कर दिया गया है और जमानत मंजूर करने के लिए परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(iv) सह–आरोपी विजयपाल के साथ किसी समानता का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल नहीं किया गया है;

(v) अनुसंधान से उद्घाटित हुआ है कि मृतक की भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत प्राथमिकी संख्या 466/2015 से उत्पन्न मामले में आपराधिक मुकदमे में पेश होने से कुछ समय पहले किराए पर लिए गए कुशल निशानेबाज की मदद से हत्या कर दी गई थी;

(vi) दूसरा प्रत्यर्थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष का आरोप है, मृतक की कार का पीछा कर रही थी और कुशल निशानेबाज को उसकी अवस्थिति के बारे में निर्देश दे रही थी; और

(vii) यहां तक कि अपीलकर्ता के भाई गोपाल सिंह पर भी उसकी साक्ष्य दर्ज होने से कुछ समय पहले हमला किया गया था।

9. दूसरी ओर, दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक सूद ने कहा कि:

(i) घटना मृतक के घर के बाहर हुई थी जिसमें दूसरे प्रत्यर्थी की भूमिका अर्थहीन हो जाती है;

(ii) प्राथमिकी में परिवार के सदस्यों ने बढ़–चढ़ कर बताया है क्योंकि छह व्यक्तियों पर मृतक पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है जबकि केवल दो गोलियां बरामद की गई हैं;

(iii) प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों में से दो के खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल नहीं किया गया है;

(iv) दूसरी प्रत्यर्थी साठ वर्ष की है और उसे तीन वर्ष दस महीने तक अभिरक्षा में रहने के बाद जमानत पर छोड़ा गया था;

(v) 58 गवाहों में से 28 का परीक्षण हो चुका है और विचारण में कुछ समय लगने की संभावना है; और

(vi) अनेक सिंह, जिसके साथ कथित तौर पर दूसरी प्रत्यर्थी संपर्क में थी, वह उसका बेटा ही है, जबकि कथित कुशल निशानेबाज़ प्रहलाद, एक रिश्तेदार है और इसलिए इनसे मोबाइल संपर्क प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है।

10. राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री ऋतिका झुरानी ने कहा कि:

(i) उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रत्यर्थी को जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया है;

(ii) सह–आरोपी विजयपाल के साथ कोई समानता का दावा नहीं किया जा सकता था, जिसे जमानत दे दी गई थी क्योंकि उसकी घटना में संलिप्तता नहीं पायी गई थी और उसके विरुद्ध आरोप–पत्र भी दाखिल नहीं किया गया था; और

(iii) दूसरी ओर, दूसरी प्रत्यर्थी को पूर्व नियोजित हत्या के षड्यंत्र में प्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया गया था।

11. अनिल कुमार यादव बनाम राज्य (एनसीआर दिल्ली) (2018) 12 एससीसी 129 में, इस न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है जिन्हें ज़मानत देने या नहीं देने का निर्णय लेने में संतुलन में रखा जाना चाहिए:

17. जमानत मंजूर करते समय, सुसंगत विचार निम्नलिखित हैं:(i) अपराध की गंभीरता की प्रकृति; (ii) साक्ष्य की प्रकृति और परिस्थितियाँ, जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं; और (iii) अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) उसकी रिहाई का अभियोजन पक्ष के गवाहों पर पड़ने वाला प्रभाव, समाज पर इसका प्रभाव; और (v) उसके हेर–फेर की संभावना निस्संदेह, यह सूची पूर्ण नहीं है। जमानत को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं हैं, प्रत्येक मामले पर उसके गुण–दोष के आधार पर

विचार किया जाना है। प्रत्येक प्रकरण मे हमेशा न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।"

12. वर्तमान मामले में जमानत मंजूर करते समय, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि "वर्तमान मामले में उसे (दूसरी प्रत्यर्थी को) कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा जाता है", यह मामले के अवलोकन से गलत हैं। अंतिम रिपोर्ट अंतर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता इंगित करती है कि अनुसंधान से प्रकट हुआ है कि:

(i) दूसरी प्रत्यर्थी चार सिम कार्डों का उपयोग कर रही थी और एक कुशल निशानेबाज़ के संपर्क में थी, जिसे अपराध करने के लिए काम पर रखा गया था; और

(ii) वह उन हथियारों की संरक्षक थी, जो किराये के परिसर में रखे गए थे, जहाँ वह रहती थी।

13. पहले पहलू पर, आरोप–पत्र में दूसरे प्रत्यर्थी के मोबाइल नंबरों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

इन कॉल विवरण के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

> 1. मोबाइल नंबर: [xxxxxxxx00] (ओमवती): – इस मोबाइल नंबर की कॉल विवरण दिनांक 01.08.2017 से घटना घटित होने की तिथि तक प्राप्त किया और पाया गया कि उक्त नंबर उक्त तिथि 01.08.2017 के बाद दिनांक 09.09.2017 तक सक्रिय था। और इसका संबंधित IMEI नंबर [xxxxxxxxxxxx810] पाया गया था। यह भी पता लगया गया है कि उक्त दिनांक 09.09.2017 के बाद उक्त आईएमईआई का मोबाइल फोन में: [xxxxxxxxxxxx810], में कोई अन्य सिम सक्रिय पायी गई थी या नहीं । इसका पता लगाने के लिए, उक्त आईएमईआई नंबर [xxxxxxxxxxxx810] के अनुरूप कॉल विवरण मोबाइल नंबर [xxxxxxxx36] के लिए प्राप्त किया गया था, जिसके दौरान पता चला कि उक्त मोबाइल नंबर घटना की तारीख 11.09.2017 तक सक्रिय था।

2. मोबाइल नंबर [xxxxxxxx36] (ओमवती): – मोबाइल नंबर [xxxxxxxx36] संबंधित सिम कार्ड गुड्डी पत्नी श्री लालसिंह, निवासी सबौरा, जिला: भरतपुर, के नाम से जारी किया गया पाया गया, जिसे ओमवती ने पूर्व में IMEI नंबर: [xxxxxxxxxxxx00] का मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर [xxxxxxxxxxxx810] से कॉल करने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है और फिर उसी मोबाइल से बाद में मोबाइल नंबर [xxxxxxxx36] भी संचालित किया। जो स्पष्टतया इंगित करता है कि उक्त मोबाइल का प्रयोग ओमवती ने ही किया है, गुड्डी ने नहीं। जब मोबाइल नंबर [xxxxxxxx36] के कॉल विवरण का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि दिनांक 11.09.2017 को मोबाइल अवस्थिति कुम्हेर, नगला बघेरा पोस्ट बौरायी, आनंद नगर, भरतपुर, रंजीत नगर, भरतपुर, रेलवे स्टेशन के पास: भरतपुर और पायी गई कि उक्त नंबर से, उसने कई कॉल किए हैं और अन्य मोबाइल नंबर [xxxxxxxx31] से बात की है।"

14. मोबाइल नंबर, जिसके साथ दूसरे प्रत्यर्थी का सेल फोन संपर्क में था, वह सह–अभियुक्त प्रहलाद का है, जिस पर कथित रूप से एक किराए पर लिए गए कुशल निशानेबाज़ होने का आरोप है। उपरोक्त दो मोबाइल नंबरों के अलावा, दो अन्य मोबाइल नंबर थे जो दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे थे, जैसा कि आरोप–पत्र से निम्नलिखित उद्धरणों में दर्शाया गया हैः

"7. मोबाइल नंबर: [xxxxxxxx57] (ओमवती):– इस प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि किसी उदयसिंह पुत्र प्रदीप निवासी– बड़ेका तहसील कठूमर, जिला: अलवर के नाम से मोबाइल नंबर: [xxxxxxxx57] का इस्तेमाल किया गया है और इसका आई एम ई आई [xxxxxxxxxxxx960] भी लगातार उपयोग में था। मामले के घटित होने की तारीख अर्थात, 11.09.2017 को इस नंबर की

अवस्थिति अशोक नगर, समीपः सुभाष नगर, भरतपुर, नागल गंगा, तहसीलः कुम्हेर, कुम्हेर, राराह के रूप में पाई गई थी। कहा गया कि उक्त CDR आधारित आई एम ई आई से प्राप्त किया गया था जिससे यह पाया गया कि [xxxxxxxx89] एक सक्रिय नंबर था और ओमवती द्वारा उपयोग किया जाना पाया गया था।

8. मोबाइल नंबर [xxxxxxxxxx89] (ओमवती):–यह मोबाइल नंबर [xxxxxxxx89] ओमवती पत्नी रतनसिंह निवासी सबौरा थानाः कुमहेर, भरतपुर के नाम से जारी किया जाना पाया गया था, और उक्त नंबर की सीडीआर का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इसका उपयोग एक उपकरण या आईएमईआई संख्या [xxxxxxxxxx970] और [xxxxxxxxxxxx960] के उपकरण में किया गया था।जब आईएमईआई नंबर [xxxxxxxxxxx960] का सीडीआर प्राप्त किया गया तो यह पाया गया कि इसमें मोबाइल नंबर [xxxxxxxx57] से संबंधित सिम कार्ड का उपयोग किया गया है।इस प्रकार, यह स्पष्ट हो चुका है कि उक्त मोबाइल नंबर: [xxxxxxxx57] का उपयोग ओमवती पत्नी रतनसिंह निवासी सबौरा, कुम्हेर, भरतपुर द्वारा किया गया था और उपरोक्तआईएमईआई [xxxxxxxxxxxx970] और [xxxxxxxxxxxx960] का उपयोग एक ही मोबाइल हैंडसेट से उसके द्वारा किया गया था।11 सितंबर 2017 को–अर्थात इस प्रकरण की घटना घटित होने की तारीख को, इसकी अवस्थिति अशोक विहार, सुभाष नगर, भरतपुर, कुम्हेर, रंजीत नगर, भरतपुर, रेलवे स्टेशन भरतपुर के पास आदि जगह पाई गई।

15. आरोप–पत्र में कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण शामिल है। कॉल डेटा रिकॉर्ड से ली गई सामग्री के अलावा, अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि अपराध के लिए हथियार खरीदने हेतु, दूसरे प्रत्यर्थी के पति रतन सिंह ने, प्रहलाद को 40,000 रुपये का भुगतान किया था। प्रहलाद तीन कट्टे और दस कारतूस लेकर आया था। हथियारों

को अनेक सिंह ने भरतपुर में एक कमरे में रखा था, जिसमें दूसरा प्रत्यर्थी किराये पर रह रहा था। इसके अलावा, एक विशिष्ट आरोप है कि दूसरे प्रत्यर्थी ने हत्यारों को मृतक (दानसिंह) की गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर अपराध करने में सक्रिय रूप से सहायता की है। यह अनुमान लगाने में उच्च न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट त्रुटि रही है कि दूसरे प्रत्यर्थी को कोई विशिष्ट या प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा गया है। जहां तक सह–अभियुक्त विजयपाल का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि अनुसंधान के दौरान वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं पाया गया था और उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

16. यह निर्णय लेने में कि क्या दूसरे प्रत्यर्थी के पांचवें जमानत आवेदन की अनुमत किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय अपराध की संजीदगी और गंभीरता और विनिर्दिष्ट भूमिका पर विचार करने में विफल रहा है जिसके लिए दूसरे प्रत्यर्थी को आरोपित किया गया है। मृतक भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत पिछले मुकदमे के विचारण में गवाही देने वाला था और हत्या उस तारीख से केवल एक पखवाड़े पहले की गई थी, जिस तारीख को उसे गवाही देनी थी। उच्च न्यायालय इससे पहले चार जमानत अर्जियां खारिज कर चुका था। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय दूसरे प्रत्यर्थी को जमानत की मंजूरी से संबंधित तात्विक परिस्थितियों पर ध्यान देने में विफल रहा है और, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से गलत आधार पर आगे बढ़ने के कारण, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए एक मामला विधिवत रूप से संस्थित किया गया है।

17. महिपाल बनाम राजेश कुमार वाले मामले में, हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए इस विषय पर पूर्व न्याय निर्णयन पर ध्यान देने के पश्चात् उन बातों को स्पष्ट किया जो इस अवधारणा में विचार किए जाने चाहिए कि क्या जमानत मंजूर की जानी चाहिएः

> 13. इस न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश [आशीष चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2010 की सीआरएम संख्या 272, दिनांक 11–1–2010 (cal)] की यथार्थता का आकलन करने में इस न्यायालय का

मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी [प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी, (2010) 14 एससीसी 496: (2011) 3 एससीसी (क्रि.) 765] में संक्षेप में अधिकथित किया गया था। उस मामले में, आरोपी दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहा था। अभियुक्तों द्वारा दायर कई जमानत अर्जियों को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा दायर जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के आदेश [आशीष चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2010 की सीआरएम संख्या 272, आदेश दिनांक 11-1-2010 (कैल)] को अपास्त करते हुए, डी. के. जैन, न्यायमूर्ति ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पृष्ठ 499-500, पैरा 9-10)

9. ... यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय, सामान्य रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत मंजूर या नामंजूर करने वाले आदेश [आशीष चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2010 का सीआरएम संख्या 272, आदेश तिथि 11-1-2010 (cal)] में हस्तक्षेप नहीं करता है। तथापि, उच्च न्यायालय के लिए भी यह समान रूप से आवश्यक है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में निर्धारित आधारभूत सिद्धांतों का विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अनुपालना करते हुए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।यह सुस्थापित है कि अन्य परिस्थितियों के बीच, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय ध्यान दिए जाने वाले कारक हैंः

(i) क्या यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

(ii) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता;

(iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता;

(iv) अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा, यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, आचरण, स्थिति और प्रतिष्ठा

(vi) अपराध के दोहराए जाने की संभावना;

(vii) गवाहों को प्रभावित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका और

(viii) खतरा, निस्संदेह, जमानत मंजूर किए जाने से न्याय को विफल किए जाने का खतरा।

* * *

"10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं देता है और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करता है, तो उक्त आदेश बुद्धि के प्रयोग न करने के दोष से प्रभावित होगा, जो इसे अवैध बनाता है।"

[...]

15. इस न्यायालय ने प्रशांत [प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी, (2010) 14 एस. सी. सी. 496: (2011) 3 एस. सी. सी. (क्रि.) 765] वाले मामले के विनिश्चय का, ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह [ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एस. सी. सी. 446: (2012) 3 एस. सी. सी. (क्रि.) 1172], रणजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [रंजीत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2013) 16 एस. सी. सी. 797: (2014) 6 एस. सी. सी. (क्रि.) 405], नीरू यादव [नीरू

यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एस. सी. सी. 508: (2015) 3 SCC (Cri) 527], विरुपक्षप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य [विरुपक्षप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, (2017) 5 SCC 406: (2017) 2 SCC (Cri) 542] और उड़ीसा राज्य बनाम महिमानंद मिश्रा [स्टेट ऑफ 12 उड़ीसा बनाम महिमानंद मिश्रा, (2018) 10 एससीसी 516: (2019) 1 एससीसी (सीआरआई) 325]। मे अनुसरण किया है "

18. न्यायालय ने यह नोट किया कि उन बातों को, जो यह अवधारित करने के लिए कि क्या जमानत वैध कारणों से मंजूर की गई है, अपील न्यायालय की शक्ति के प्रयोग में विचार किया जाना चाहिए कि क्या जमानत के निरस्तीकरण का आवेदन मे कोई भिन्न आधार है। न्यायालय ने अवलोकन किया;

"16. जमानत मंजूर करने वाले आदेश की वैधता का निर्धारण करने में अपील न्यायालय की शक्ति को मार्गदर्शित करने वाले विचार जमानत के निरस्तीकरण के लिए आवेदन के निर्धारण से भिन्न आधार पर हैं।जमानत मंजूर करने वाले किसी आदेश की वैधता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि क्या जमानत मंजूर करने में विवेकाधिकार का अनुचित या मनमाना प्रयोग किया गया था।परख यह है कि जमानत मंजूर करने वाला आदेश विकृत, अवैध या अनुचित है। दूसरी ओर, जमानत को रद्द करने के लिए एक आवेदन की आम तौर पर निगरानी करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व या उस व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर जांच की जाती है जिसे जमानत दी गई है।"(इस संदर्भ में रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना कोली 5) और हरजीत सिंह बनाम इंद्रप्रीत सिंह उर्फ इंदर 6 के निर्णय को भी देखें)

19. उपरोक्त निर्णयों की कसौटी पर और ऊपर इंगित किए गए कारणों के आधार पर, जमानत देने का आक्षेपित आदेश अरक्षणीय है। उच्च न्यायालय अपराध की संजीदगी और

गंभीरता और दूसरे प्रत्यर्थी की भूमिका को प्रभावित करने वाली प्रासंगिक परिस्थितियों पर ध्यान देने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर कार्यवाही की है कि दूसरे प्रत्यर्थी को कोई स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है। जमानत देने की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

20. उपरोक्त कारणों से हम अपील को स्वीकार करते हैं और दाण्डिक विविध पांचवें जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11627/2021 मे राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के एकल न्यायाधीश के निर्णय व आदेश दिनांकित 11 अगस्त 2021 को अपास्त करते है । परिणामतः, दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दायर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है। दूसरा प्रत्यर्थी 7 नवंबर 2021 को या उससे पहले आत्मसमर्पण करेगा।

21. इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए हैं और उनका मामले के गुणागुण या लंबित विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. लम्बित आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निस्तारण किया जाता है।

न्यायाधीश [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

न्यायाधीश .[नागरत्ना]

नई दिल्ली

29 अक्टूबर, 2021

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'SUVAS के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए इसे उसकी भाषा मेंसमझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्यउद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगाऔर निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्यहोगा।